संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–2/एफ– 88/बुरहानपुर/2018/ 1982 भोपाल दिनांक 13/11/2018

प्रति,

डॉ. शकील अहमद खान
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश।

द्वारा– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर म.प्र.।

विषयः– अनुशासनात्मक कार्यवाही विरूद्ध– डॉ. शकील अहमद खान सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला बुरहानपुर को कारण बताओं नोटिस।

–––––000–––––

यह कि आप **डॉ. शकील अहमद खान सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला बुरहानपुर** के पद पर पदस्थ है।

संचालनालय के पत्र क्रमांक अस्प.प्रशा./सेल–4/2018/86 दिनांक 19.01.2018 एवं पत्र दिनांक 27.03.2018 में जारी निर्देश एवं निर्धारित मापदण्डो के अनुसार साफ–सफाई मद में चिकित्सालयो को सफाई सामग्री क्रय हेतु बजट आवंटित किया गया है। जिसकी सीमा कुल बजट के 15 प्रतिशत तय की गई है, जिलों को आवंटित बजट से अधिक व्यय न किये जाने के भी निर्देश दिये गये है।

यह कि आपकी पदस्थी दौरान कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला बुरहानपुर में वित्तीय वर्ष 2018–19 में सफाई मद के अंतर्गत 3601386 मापदण्ड निर्धारित थे के विरूद्ध राशि रू. 4468469 एवं वायो मेडिकल मद के अंतर्गत विभागीय मापदण्ड रूपये 8,70,000/– के विरूद्ध राशि रूपये 3074090/– का व्यय किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक गत वर्षो का व्यय वरिष्ठ कार्यालय से बिना सक्षम स्वीकृति, भण्डार नियमों का उल्लंघन एवं मद परिवर्तन कर देयको का भुगतान किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा म.प्र. वित्त संहिता भाग 121(4) एवं बिलों पर सक्षम स्वीकृति एवं एस.आर.–115 तथा म.प्र. वित्तीय संहिता नियम 283 का उल्लंघन किया जाकर म.प्र. कोषालय संहिता सहायक नियम 290, 291 के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु निर्धारित जबाबदारी का पालन नही किया गया है। आपके द्वारा अपनाई गई क्रय प्रक्रिया में म.प्र. भण्डार क्रय नियम 2015 का भी पालन नही किया गया है। जो कि वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम – 3 के उपनियम एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये, स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक इंदौर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें। यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेंगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

6/11/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक/4/शिका./सेल–2/एफ–88/बुरहानपुर/2018/ भोपाल दिनांक/ /2018

प्रतिलिपी:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।

3 संचालक वित्त/अस्पताल प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.।

4 अपर संचालक (वित्त) स्थनीय कार्यालय की ओर उनकी टीप कमांक 2197 दिनांक 29.09.2018 के अनुकम में प्रेषित।

5 कलेक्टर जिला बुरहानपुर म.प्र.।

6 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय /लीगल/स्थानीय कार्यालय।

7 क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर संभाग इंदौर की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि **डॉ. शकील अहमद खान सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बुरहानपुर को** जारी नोटिस की तामिली कराकर तामीली रिपोर्ट संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

8 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बुरहानपुर म.प्र.।

9 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।

10 आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–2/एफ–89/बडवानी/2018/1980 भोपाल दिनांक 13/11/2018

प्रति,

डॉ. व्ही.बी. जैन
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बडवानी मध्यप्रदेश।

द्वारा– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर म.प्र.।

विषयः– **अनुशासनात्मक कार्यवाही विरूद्ध– डॉ.व्ही.बी. जैन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी को कारण बताओं नोटिस।**

------000------

यह कि आप **डॉ. व्ही.बी. जैन जिला बडवानी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी** के पद पर पदस्थ है।

संचालनालय के पत्र कमांक अस्प.प्रशा./सेल–4/2018/86 दिनांक 19.01.2018 एवं पत्र दिनांक 27.03.2018 में जारी निर्देश एवं निर्धारित मापदण्डो के अनुसार साफ–सफाई मद में चिकित्सालयो को सफाई सामग्री क्रय हेतु बजट आवंटित किया गया है। जिसकी सीमा कुल बजट के 15 प्रतिशत तय की गई है, जिलों को आवंटित बजट से अधिक व्यय न किये जाने के भी निर्देश है।

यह कि आपकी पदस्थी दौरान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी में वित्तीय वर्ष 2018–19 में सफाई मद अंतर्गत 1702368 मापदण्ड के विरूद्ध राशि रू. 2320840 का व्यय किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक व्यय किया जाकर भण्डार नियमों का उल्लंघन एवं मद परिवर्तन कर म.प्र. वित्त संहिता भाग 1 का नियम 8 एवं 9 तथा 118 म.प्र. भण्डार क्रय नियम 2015 म.प्र. कोषालय संहिता के नियम 121(4) तथा म.प्र. वित्तीय शक्ति अधिकार पुस्तिका भाग 2 में प्रत्यायोजित अधिकार नियमों का उल्लंघन कर वित्तीय अनियमित्ताऐं की गई है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम – 3 के उपनियम एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये, स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक इंदौर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें। यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेंगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

6/11/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/4/शिका./सेल–2/एफ–89/बडवानी/2018/ भोपाल दिनांक/ /2018

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।

3 संचालक वित्त/अस्पताल प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.।

4 अपर संचालक (वित्त) स्थनीय कार्यालय की ओर उनकी टीप क्रमांक 2197 दिनांक 29.09.2018 के अनुक्रम में प्रेषित।

5 कलेक्टर जिला बडवानी म.प्र.।

6 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल/स्थानीय कार्यालय।

7 क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर संभाग इंदौर की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि **डॉ. व्ही.बी. जैन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी को** जारी नोटिस की तामिली कराकर तामीली रिपोर्ट संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

8 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बडवानी म.प्र.।

9 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।

10 आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/बालाघाट/2018/1972 भोपाल, दिनांक 12/11/18

प्रति,

डॉ.मनोज पाण्डे,
मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
बालाघाट म.प्र.।

द्वारा :—क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।

विषयः—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत—**डॉ.मनोज पाण्डे, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस।**

—

यह कि आप डॉ.मनोज पाण्डे, जिला बालाघाट में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ है।

यह कि आपके पदस्थी के दौरान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट में वित्तीय वर्ष 2018—19 में सफाई मद अंतर्गत शून्य मापदण्ड के विरूद्ध राशि रूपये 2142956 का व्यय किया गया है । इस प्रकार आपके द्वारा मापदण्ड से अधिक, गत वर्षो का व्यय, वरिष्ठ कार्यालय से स्वीकृति नहीं, भण्डार नियमों का उल्लंघन एंव मद परिवर्तन कर म.प्र.वित्त संहित भाग 1 के नियम 8,9 एंव 118 तथा शून्य मापदण्ड के विरूद्ध राशि रूपये 2142956 का व्यय किया गया है । इस प्रकार आपके द्वारा मापदण्ड से अधिक, गत वर्षो का व्यय, वरिष्ठ कार्यालय से स्वीकृति नहीं, भण्डार नियमों का उल्लंघन एंव मद परिवर्तन कर म.प्र.वित्त संहित भाग 1 के नियम 8,9 एंव 118 म.प्र. कोष संहिता भाग नियम 121(4), 283 का उल्लंधन/वित्तीय अनियमितायें की गई है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम—3 के उपनियम एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संन्निष्ठ एंव कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ? यदि आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

<u>**स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित**</u>

6/11/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

2........

पृ0क्रमांक 4/शिका/सेल.3/ SCN/बालाघाट/ 2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।

2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।

3. कलेक्टर बालाघाट म.प्र.।

4. अपर संचालक, वित्त स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण बताओ नोटिस डॉ.पाण्डे को तामिली कराकर पावती तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।

6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बालाघाट म.प्र.।

7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश